

83

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०,



R5352-II/16

RS. 30/-

जुगुल किशोर तनय श्री रामदास निवासी ग्राम टीकर बरहा टोला तहसील हुजूर

जिला रीवा म०प्र०,

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवकुमार तनय शिवचरण कुशवाहा निवासी ग्राम सेमरिया तहसील सेमरिया
जिला रीवा म०प्र०,

2. म०प्र० शासन

.....गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री लतीफ सिंह
वारा प्रस्तुत/ 29-7-16

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण
कमांक-317/अपील/2011-12 आदेश
दिनांक-02.07.2016,

.....
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
संहिता 1959ई०,
.....

मान्यवर,

सक्षिप्त विवरण-

यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के
प्रकरण कमांक-317/अपील/2011-12 आदेश दिनांक-02.07.2016
के विरुद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की जा रही है कि अधीनस्थ
न्यायालय के समक्ष अनावेदक गैरनिगरानीकर्ता शिवकुमार द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के रिमाण्ड आदेश
दिनांक-08.12.2011 के प्रकरण कमांक-109/अ-6/2009-10
जिसके द्वारा प्रबल न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को

✓


Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R5352-II/16

जिला-रीवा

जुगुल किशोर/ शिवकुमारा

(1)	(2)	(3)
19.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	 सवेस्य